शिक्षा में सार्वभौमीकरण
(UNIVERSALIZATION IN EDUCATION)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950 में **भारत के संविधान** को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता, कुशल गणतन्त्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसीलिए भारत के संविधान में धारा 45 के अन्तर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं **सार्वभौमिक शिक्षा** का प्रावधान किया गया। जिसके अन्तर्गत संविधान की धारा 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है—"राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा।"

"The state shall endeavour to provide with a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years." **—Article 45**

शिक्षा में यह सार्वभौमीकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को या कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर ध्यान दिए शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ भी है कि देश के अमीर या गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।"

प्राथमिक शिक्षा के **सार्वभौमीकरण** का अर्थ प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है। विकसित तथा अधिक विकसित देशों में निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस न होना, निःशुल्क पुस्तकें तथा कॉपी-पेन्सिल आदि, निःशुल्क दोपहर का भोजन तथा निःशुल्क स्कूल परिवहन इत्यादि है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों को ये सब सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करना कुछ कठिन अवश्य है।

Scanned with CamScanner

सार्वभौमीकरण की अवस्थायें (STAGES OF UNIVERSALIZATION)

शिक्षा में सार्वभौमीकरण हेतु तीन अवस्थायें हैं—

(1) सार्वभौमीकरण हेतु प्रावधान (Provisions for Universalization),

(2) प्रवेश का सार्वभौमीकरण (Universalization of Enrolment),

(3) अवधारणा का सार्वभौमीकरण (Universalization of Retention)।

सार्वभौमीकरण हेतु प्रावधान का अर्थ है कि सभी बच्चों को पढ़ने हेतु एक निश्चित दूरी तक विद्यालयी सुविधायें प्रदान करना अर्थात् जहाँ तक सम्भव हो बालक के घर से एक मील की दूरी के अन्दर-अन्दर प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। इस सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ती हुई आवश्यकता को सदा ध्यान में रखा जाय।

प्रवेश की सार्वभौमीकरण से आशय है कि वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाय। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों से अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी पारित किए हैं जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य है।

अवधारणा के सार्वभौमीकरण से आशय है कि विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् बालक को अपने प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक वहीं रहना चाहिए।

शिक्षा में सार्वभौमीकरण की आवश्यकता व महत्त्व (NEED AND IMPORTANCE OF UNIVERSALIZATION OF EDUCATION)

वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता एवं महत्त्व के निम्न कारण हैं—

(1) शिक्षा में सार्वभौमीकरण **साक्षरता के प्रसार में सहायक** है।

(2) शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है तथा शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है।

(3) शिक्षा का सार्वभौमीकरण विज्ञान एवं तकनीकी विकास का लाभ उठाकर **सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करना** भी है।

(4) शिक्षा का सार्वभौमीकरण **व्यावसायिक सफलता के विकास में सहायक** है।

(5) शिक्षित नागरिक **राष्ट्रीय विकास** को बनाये रखने में मदद करते हैं।

(6) शिक्षा का सार्वभौमीकरण **लोकतन्त्र की सफलता** हेतु आवश्यक है क्योंकि अशिक्षा के कारण ही भारत में जातिवाद, भाषावाद, प्रवेशवाद, साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयवाद जैसी विकराल समस्याएँ आती हैं।

(7) शिक्षा में सार्वभौमीकरण **दैनिक जीवन की सफलता हेतु** भी सहायक है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षित व्यक्ति छोटी-छोटी खराबियों को सरलता से दूर कर सकता है।

(8) शिक्षा में सार्वभौमीकरण के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रति बालकों में ललक पैदा होती है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में सहायक है।

Scanned with CamScanner